

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

क्रमांक/354/रीडर/अ-82/2022-23

//अधिसूचना//

दिनांक 5/02/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम कांजापानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला - सुकमा
- 2- तहसील - छिन्दगढ़
- 3- ग्राम - कांजीपानी
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 0.260 हे.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1	सुखराम पिता रामधर, जाति हल्बा, पता ग्राम कांजीपानी	740	0.040
2	महादई पति सुकदास, जाति हल्बा, पता ग्राम कांजीपानी	742	0.110
		743/4	0.070
4	सुमित्रा बघेल पति दशरो, जाति हल्बा, पता कांजीपानी	745	0.040
योग-		कुल खसरा संख्या-04	0.260

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोण्टा में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग